कार्यालय अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्याः– 789 / FP/UK/HYD/22889/2016 देहरादूनः दिनांक 19 सितंबर, 2018

सेवा में,

सचिव,
वन एवं पर्यावरण अनुभाग–4,
उत्तराखण्ड शासन।

विषयः– जनपद– उत्तरकाशी के अन्तर्गत सुपिन नदी पर प्रस्तावित 44 मेगावाट क्षमता की जखोल सांकरी जल विद्दुत परियोजना के निर्माण हेतु 24.317 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु एसजेवीएन लि0 को 30 वर्षो की लीज पर दिया जाना।

(Online Proposal No FP/UK/HYD/22889/2016)

महोदय,

उपरोक्त विषयक वन भूमि 30 वर्षो की लीज पर दिए जाने का प्रस्ताव वन संरक्षण के अधिनियम 1980 के अन्तर्गत भारत सरकार पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की स्वीकृति प्राप्त करने हेतु ऑनलाईन प्रेषित किया गया है। उक्त वन भूमि प्रस्ताव पर वन संरक्षक, यमुना वृत्त, देहरादून एवं निदेशक/वन संरक्षक, राजाजी टाइगर रिजर्व, देहरादून तथा प्रभागीय वनाधिकारी, टौन्स वन प्रभाग, पुरोला एवं उप निदेशक, गोविन्द वन्यजीव विहार/राष्ट्रीय पार्क, पुरोला द्वारा भी संस्तुति की गयी है। अतः जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत सुपिन नदी पर प्रस्तावित 44 मेगावाट क्षमता की जखोल सांकरी जल विद्दुत परियोजना के निर्माण हेतु प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति हेतु भारत सरकार को प्रेषित करने का कष्ट करें।
संलग्नः उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(मनोज चन्द्रन)
मुख्य वन संरक्षक

संख्या /1जी– FP/UK/HYD/22889/2016 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक भारत सरकार पर्यावरण, वन एंव जलवायू परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय, (उत्तर–मध्य क्षेत्र), 25 सुभाष रोड, देहरादून को प्रस्ताव की मूल प्रति पार्ट । से IV तक संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।
2. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड।
3. मुख्य वन संरक्षक गढ़वाल, पौड़ी।
4. वन संरक्षक, यमुना वृत्त, देहरादून एवं निदेशक/वन संरक्षक, राजाजी टाइगर रिजर्व, देहरादून।
5. जिलाधिकारी, जनपद–उत्तरकाशी।
6. प्रभागीय वनाधिकारी, टौन्स वन प्रभाग, पुरोला एवं उप निदेशक, गोविन्द वन्यजीव विहार/राष्ट्रीय पार्क, पुरोला ।
7. अपर महाप्रबन्धक (परियोजना प्रमुख), एसजेवीएन लि0, जखोल सांकरी जलविद्युत परियोजना, मोरी, उत्तरकाशी।

(मनोज चन्द्रन)
मुख्य वन संरक्षक

भाग–IV

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष, वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिये)

परियोजना का नामः–जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत सुपिन नदी पर प्रस्तावित 44 मेगावाट क्षमता की जखोल सांकरी जल विद्युत परियोजना के निर्माण हेतु 24.317 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु एसजेवीएन लि0 को 30 वर्षो की लीज पर दिया जाना।

(Online Proposal No FP/UK/HYD/22889/2016)

1. टिप्पणी के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिये राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें। (राय देते समय, सम्बन्धित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणी की सुस्पष्ट समीक्षा की जाय और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाय)ः

उपरोक्त जल विद्युत परियोजना हेतु टौन्स वन प्रभाग में (देवता रेंज, भासला ब्लाक कक्ष संख्या–03 एवं 04 में 2.25 हे0) आरक्षित वन भूमि, एवं गोविन्द वन्यजीव विहार/राष्ट्रीय पार्क वन प्रभाग में 22.067 हे0 सिविल सोयम वन भूमि अर्थात कुल **24.317** हे0 वन भूमि का 30 वर्षो की लीज पर दिया जाना प्रस्तावित है, जिसका अवलोकन करने पर पाया गया कि उपरोक्त परियोजना के निर्माण हेतु वन भूमि का सम्मिलित होना अनिवार्य है। प्रभागीय वनाधिकारी, टौन्स वन प्रभाग, पुरोला एवं उप निदेशक, गोविन्द वन्यजीव विहार/राष्ट्रीय पार्क, वन प्रभाग पुरोला तथा वन संरक्षक, यमुना वृत्त, देहरादून एवं निदेशक/वन संरक्षक, राजाजी टाइगर रिजर्व, देहरादून द्वारा भी प्रस्ताव पर अपनी संस्तुति की गई है। अतः **जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत सुपिन नदी पर प्रस्तावित 44 मेगावाट क्षमता की जखोल सांकरी जल विद्युत परियोजना के निर्माण हेतु** प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति हेतु भारत सरकार को प्रेषित करने की संस्तुति की जाती है।

हस्ताक्षरः

नाम व पदनामः (मनोज चन्द्रन भा.व.से.)
मुख्य वन संरक्षक,

तिथि : 19 /09/2018
स्थान : देहरादून